रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092024-257531 CG-DL-E-26092024-257531

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3882]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 26, 2024/आश्विन 4, 1946

No. 3882]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 26, 2024/ASVINA 4, 1946

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

का.आ. 4240(अ).—केंद्रीय सरकार, धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-शोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 11क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर रिपोर्टकर्ता इकाई, अर्थात् एचडीबी फाइनेंसिएल सर्विसेस लिमिटेड ने आधार (वित्तीय और अन्य सहदायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आधार अधिनियम कहा गया है) के अधीन गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का पालन करेगी, और ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है, आधार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण तथा समुचित विनियामक, अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त रिपोर्टिंग इकाई को धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम के अधीन अधिप्रमाणन कार्य करने के लिए अनुज्ञात करती है।

[फा. सं. पी-12011/11/2021-ईएस सेल-डीओआर-(भाग 1)] रिमझिम पांडे. अपर सचिव

6285 GI/2024 (1)

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue)

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th September, 2024

**S.O. 4240(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11A of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) (hereinafter referred to as the Money-laundering Act), the Central Government on being satisfied that the reporting entity, namely, HDB Financial Services Limited shall comply with the standards of privacy and security under the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsides, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the Aadhaar Act), and it is necessary and expedient to do so, after consultation with the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Aadhaar Act and the appropriate regulator, namely, the Reserve Bank of India, hereby permits the said reporting entity to perform authentication under the Aadhaar Act for the purposes of section 11A of the Money-laundering Act.

[F. No. P-12011/11/2021-ES Cell-DOR-Part(1)] RIMJHIM PANDEY, Under Secy.